न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : डा0मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3964–एक/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 15–10–2012 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर, राजगढ़ (व्यावरा) – प्रकरण कमांक 20 अ–19/2011–12

1– श्रीमती धापोवाई पत्नि दौलजी
2– श्रीमती शैतानवाई पत्नि पर्वतसिंह
3– श्रीमती कोशल्या वाई पत्नि श्रीलाल
तीनों निवासी ग्राम मनोहरपुरा तहसील
व जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन
2– श्रीमती लक्ष्मीवाई पत्नि स्व. दिलीपकुमार
3– गोपाल पिता दिलीपकुमार सभी निवासी
इंगले कालोनी , तहसील व जिला राजगढ़ -- अनावेदकगण

(श्री एस0के0श्रीवास्तव अभिभाषक – आवेदकगण)
(श्री जितेन्द्र त्यागी अभिभाषक – अनावेदक 2,3)
(श्री बी0एन0त्यागी अभिभाषक – आवेदक क–1)

आ दे श

(दिनांक 02 दिसम्बर, 2015)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, राजगढ़ (व्यावरा) व्दारा प्रकरण कमांक 20 अ–19/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15.10.12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–2 के पति दिलीप कुमार को भूमि सर्वे कमांक 2/1/14 रकबा 2 हैक्टर का पटटा वर्ष 2002 में कृषि कार्य हेतु दिया गया, इसी भूमि को श्रीमती सैतान वाई, कोशल्या वाई, श्रीमती धापू वाई निवासी मनोहरपुर को दिनांक 28–6–2010 को विकय कर दिया गया। पटटाग्रहीता ने सक्षम अनुमति के बिना भूमि विकय कर देने के फलस्वरूप अनुविभागीय

अधिकारी, राजगढ़ (व्यावरा) ने अपर कलेक्टर राजगढ़ को जांच प्रतिवेदन दिनांक 27-1-12 प्रस्तुत किया, जिस पर से आवेदकगण के विरूद्ध प्रकरण कमांक 20 अ-19/2011-12 पंजीबद्ध किया तथा आवेदकगण एंव अनावेदक कमांक 2 व 3 को बचाव प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किये। पेशी 15.10.12 को आवेदकगण के अभिभाषक अपर कलेक्टर राजगढ़ के समक्ष उपस्थित हुये किन्तु चुनाव कार्य में व्यस्त रहने से आगामी पेशी 30.10.12 नियत की गई। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत करते हुये बताया कि आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना एंव पक्ष समर्थन का मौके दिये बिना कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें दिनांक 22.2.12, 15.3.12, 22.3.12, 19.4.12, 5.5.12, 17.5.12, 6.7.12, 17.7.12, 29.7.12, 21.8.12, 4.9.12, 9.9.12, 27,9,12 एंव 15.10.12 की पेशियॉ लगाई, किन्तु आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र आधार सहित प्रदाय नहीं किये गये । इस प्रकार अपर कलेक्टर ने क्षेत्राधिकार के वाहर जाकर मानमानी कार्यवाही की है। अनावेदक क. 2 व 3 के अभिभाषक ने आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को का समर्थन किया, किन्तु अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक ने अपर कलेक्टर व्दारा की जा रही कार्यवाही को अधिकारिता में होना बताया।

5/ उभय पक्ष की बहस पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि अनावेदक क-2 के पति दिलीप कुमार को भूमि सर्वे कमांक 2/1/14 रकबा 2 हैक्टर का पटटा वर्ष 2002 में कृषि कार्य हेतु दिया गया था, जिसे बिना सक्षम अनुमति के श्रीमती सैतान वाई, कोशल्या वाई , श्रीमती धापू वाई निवासी मनोहरपुर को दिनांक 28-6-2010 को विकय किया

गया है। जैसाकि आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र आधार सहित प्रदाय नहीं किये गये, जबकि अपर कलेक्टर के प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की प्रतियॉ संलग्न हैं जिसमें पेशी 22.2.12 नियत पक्षकारों को सूचना दी गई है और पक्षकार अपर कलेक्टर के समक्ष अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हुये है। अतः नहीं माना जा सकता कि आवेदकगण को अपर कलेक्टर व्दारा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किये हैं।

6/ अपर कलेक्टर राजगढ़ को संहिता की धारा 165 के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त न होने की आपत्ति की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में व्यवस्था दी गई है कि शासकीय पटटेदार की भूमि के विकय की अनुमति कलेक्टर अथवा उनसे अनिम्न श्रेणी के अधिकारी व्दारा दी जायेगी। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 17 में अपर कलेक्टर को वही शक्तियॉ प्रदान की गई हैं, जो कलेक्टर को प्राप्त हैं। अतएव आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा उठायी गई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। अपर कलेक्टर के प्रकरण की आर्डरशीट दिनांक 15-10-2012 के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने के लिये निगरानी प्रस्तुत कर समय व्यतीत करना चाहते हैं जबकि उन्हें अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित रहकर स्वच्छ मन से अपना पक्ष समर्थन एंव बचाव प्रस्तुत करना चाहिये।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर कलेक्टर, राजगढ़ (व्यावरा) व्दारा प्रकरण कमांक 20 अ-19/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15.10.12 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(डॉ0मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर